विभाग का नाम :– **शिक्षा विभाग**

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– **06**

दिनांक :– 08/08/2017

प्रश्नकर्त्ता का नाम :– **श्री जगदीश प्रधान**

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने मिड–डे–मील योजना में वितरित किया जाने वाला भोजन गुणवत्ता के आधार पर खरा नहीं उतरता है, इसका विवरण दें;	जी नहीं, यह सत्य नहीं है । दिल्ली में मिड–डे–मील की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये समय–समय पर मिड–डे–मील की जॉच अधिकृत एजेंसी द्वारा कराई जाती है । यदि मिड डे मिल में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्यवाही होती है ।
(ख) क्या यह सत्य है कि मिड–डे–मील योजना का क्रियान्वयन हर पहलू से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तथा वितरण में कुप्रबन्धन को दूर करने हेतु सरकार प्रयत्न कर रही है;	मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है एवं उसके निर्देशों के अनुसार योजना में सुधार करने का प्रयास किया जाता है । दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल मिड–डे–मील कमेटी का गठन किया गया है । इसके अलावा शिक्षा निदेशालय में मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता की जॉच के लिए M/s. FICCI Research & Analysis Centre के साथ फरवरी, 2016 से अनुबंध किया हुआ है । जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्लायर्स के चार सेम्पल प्रति माह टेस्ट करने का आदेश दिया गया है । जिनमें से तीन सेम्पल स्कूल से और एक सेम्पल किचिन से होता है ।
(ग) यदि हॉ तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और	उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार ।
(घ) क्या सरकार कर्नाटक तथा तमिलनाडू जैसे उच्च श्रेणी मिड–डे–मील योजना क्रियान्वयन वाले राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसिस का अध्ययन कर ऐसी योजना दिल्ली के विद्यालयों में क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है?	सरकार इस सम्बंध में विभिन्न राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसिस पर निरंतर नजर रख रही है ।